भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2888
दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

†2888. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूरे किए गए प्रमुख अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस कार्य संबंधी दक्षता और अपराध का पता लगाने में हुए सुधारों का कोई मुल्यांकन किया है; और

(घ) सरकार द्वारा आधुनिक पुलिस कार्य संबंधी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): पिछले 5 वर्षों के दौरान "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधि निम्नानुसार है:

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2888 दिनांक 10.03.2026

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**बजट आवंटन [बजट अनुमान (ब.अ.)/ संशोधित अनुमान (सं.अ.)]**	**जारी/उपयोग की गई निधि**
1.	2021-22	ब.अ.: 620.45; सं.अ.: 188.00	158.57
2.	2022-23	ब.अ.: 620.45; सं.अ.: 150.52	36.69
3.	2023-24	ब.अ.: 264.12; सं.अ.: 166.33	52.30
4.	2024-25	ब.अ.: 520.51; सं.अ.: 142.15	117.15
5.	2025-26	ब.अ.: 540.00	227.4275* (दिनांक 24.02.2026 की स्थिति के अनुसार)

*** इसमें जारी की गई निधि/मूल संस्वीकृति शामिल है।**

(ख): पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी) योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित/पूर्ण किए गए प्रमुख अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी कार्यों में उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क टर्मिनलों (पोलनेट फ्लाई अवे टर्मिनल) के माध्यम से संचार नेटवर्क का उन्नयन, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित एकीकृत कमांड तथा नियंत्रण केंद्र के माध्यम से प्रतिक्रिया समय में सुधार, उन्नत हथियारों की खरीद, डिजिटल फोरेंसिक किट, उन्नत साइबर फोरेंसिक टूलों आदि जैसे उपकरणों की खरीद के साथ फोरेंसिक क्षमताओं का उन्नयन शामिल है।

(ग): संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्य में पुलिस व्यवस्था की दक्षता और अपराध का पता लगाने का आकलन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(घ): केंद्र सरकार, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी) योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है, जो उनके पुलिस स्टेशनों को आधुनिक तकनीक से लैस करके पुलिस असंरचना को मजबूत करके अत्याधुनिक स्तर का बनाने में सहायक होती है।

****